[Mr. Chairman]

best to advise them and see how best their demands can be met.

Shri Umanath: They have sent a telegram saying that their strike threat is because the Governor has rejected the promised interview. They decided on the strike on 5th because the Governor cancelled the interview. This is what they say:

"GOVERNOR CANCELLED INTERVIEW ON FIFTH DECEMBER DIRECT ACTION FIFTH ONWARDS"

They say because he cancelled the interview, they have decided to strike

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): Sir, there is some confusion on facts. I would request hon. Members to verify the facts. The Governor certainly communicated the time of interview. At that time, the executive committee or action committee, whatever it was, said: "Certainly we will meet the Governor, but if the results are not fruitful we will take direct action".

Shri Umanath: That is just normal.

Shri Y. B. Chavan: That is our difficulty. What is normal for them is abnormal for us. (*Interruptions*). This is not normal at all. You cannot go to a Governor saying that if nothing comes out we will go on direct action or something like that.

श्री बागड़ी (हिसार) : जो जवाब दिया गया है वह अनालियत से बिल्कुल दूर है। यह कोई सरकार की नीति है कि फर्ज करो कि कोई

सभापति महोदय : पहली बार सवाल कर रहे हैं, इस वास्ते मैं आप को इजाजत दे रहा हूं, नहीं तो मैं न देता।

श्री बागड़ी संघर्ष का कोई नोटिस दे दे तो क्या यह सरकार की नीति है कि उससे बात ही न करे ? यह तो कोई दलील न हुई। यह दलील बिल्कुल घटिया है और यह तो टालने वाली बात हुई। फर्ज करो कि इंजीनियरों ने हड़ताल और संघर्ष का नोटिस दिया लेकिन उन से बात करने में क्या हर्ज है ? गवर्नर कोई शहनशाह तो नहीं है कि बात ही नहीं करेगा।

Mr. Chairman: No, there is no point of order. Now, the Home Minister will make the statement.

18.15 hrs.

STATEMENT *RE.* DEATH OF SHRI RISHI SWARUP BRAHAMACHARI

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): Sir, Shri Rishi Swarup Brahmachari, aged about 74, had undertaken a fast on the night between 22nd and 23rd November, 1966 in the Office of the All India Dharam Sangh, Delhi. Shri Rishi Swarup Brahmachari was reported to be a resident of Meerut District of Uttar Pradesh. He was found dead yesterday morning at about 4 A.M. The district authorities had suggested a *post mortem* examination but on account of the opposition of the members of the Dharam Sangh, it was not performed.

As desired by the members of the Dharam Sangh, the body of Shri Rishi Swarup Brahmachari was taken by truck to Garh Mukteshwar for cremation. The truck left the Dharam Sangh Office at 3.15 P.M. The cremation took place at about 10.30 A.M. today at Garh Mukteshwar. The last rites were performed by the grandson of the deceased in the presence of other relations.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने आज के स्टेट्समैन में जो वक्तव्य दिया है उस में यह कहा है कि शव को ले जाते हुए ट्रक जिस समय शाहदरा के रेलवे क्रासिंग पर जा कर रुका तो उस समय जो कुछ कार्यकर्ता साथ जा रहे थे वे

ट्रक छोड़ कर भाग गये। लेकिन जो वास्तविकता है वह यह है कि पुलिस ने उनको धक्के दे दे कर ट्रक से नीचे उतारा और लाश को उसने अपने कब्जे में ले लिया। इसी प्रकार इसी डी० सी० ने जगद्गुरु शंकराचार्य के बारे में भी गृह मंत्रालय को गलत वक्तव्य दिया था जिस में उन्होंने कहा था कि पुलिस पूजा के स्थान पर नहीं गई है, शंकराचार्य जी जिस पवित्र आसन पर बैठे थे वहां पर नहीं गई है जबकि परम्परा के बिल्कुल विपरीत वह गई थी। दिल्ली की पुलिस इस तरह से न करे और इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई न करे, क्या इसके बारे में कोई आदेश उसको दिये गये हैं ताकि दिल्ली और देश में जो असन्तोष है वह भड़क कर कोई दूसरा रूप न ले ले ?

Shri Y. B. Chavan: Sir, the instructions to the police have always been—it is not a question of merely for future; for the present and, I am sure, they were in existence even in the past—that they will have to behave with religious places and religious personages too. My information, the facts as they are conveyed to me as to what happened at Shahdra, was quite different. Those people refused to go with them and they did some damage to the windscreen of the truck. Some offence has been registered and some investigations are going on about it. That is my information. My difficulty is that the information that the hon. Member has received is different from mine. I cannot help it.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह जानकारी मुझे उन सदस्यों से मिली है जो इस ट्रक में मौजूद थे और जिन का वहां उतारा गया, जबर्दस्ती उनको उतारा गया। पुलिस ने तब लाश को अपने कब्जे में ले लिया। क्या आप समझते हैं कि जिस ट्रक में लाश ले जाई जा रही थी उसको वे डैमेज करेंगे ?

सभापति महोदय : श्री बड़े।

श्री बड़े (खारगोन) : जब स्वामी जी शान्त हो गये, उनका स्वर्गवास हो गया उसके बाद ख्वाजा साहब वहां दो हजार पुलिस वालों को ले कर गये और धर्म संघ के पवित्र स्थान में गये जहां वह जा नहीं सकते थे। वहां जा कर ख्वाजा साहब ने उस लाश को पोजैशन में लिया। इसके बाद क्या हुआ इसको आप देखें। बजीराबाद के आगे रेलवे क्रासिंग के निकट फाटक बन्द होने के कारण ट्रक को रुकना पड़ा। यहां पर पुलिस ने श्री त्यागी, ब्रह्मचारी उमानन्द और अन्य दो दर्जन गोभक्तों को डंडे मार मार कर ट्रक से बाहर फेंक दिया और ट्रक को तेजी से दौड़ा कर न जाने कहां ले गये। श्री त्यागी, श्री उमानन्द व अन्य व्यक्तियों को चोट भी आई।

सभापति महोदय : आप सवाल करें।

श्री बड़े : इस प्रकार की घटनायें जो होती हैं इनके बारे में मैं आनरेबल मिनिस्टर से विनती करता हूं कि पूजा के जो स्थान हैं, वहां पर ख्वाजा साहब जैसे लोगों को न भेजा करें। इससे हिन्दू जो लोग हैं उनके मन को धक्का लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि लोगों को शव के साथ क्यों नहीं जाने दिया गया और क्या जरूरत थी कि दो हजार सिपाही ले कर आप वहां गये ? जिन कार्यकर्ताओं का मैंने नाम लिया है, उनको डंडे मार कर उतारने की क्या जरूरत थी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब शंकराचार्य जी के बारे में यहां जिक्र किया गया था तो मैंने उसको बड़ी गम्भीरता से लिया था और उसके बारे में इत्तिला मांगी थी। वह बड़ा गम्भीर आरोप था। अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो इत्तिला मुझे मिली है वह उससे बिल्कुल भिन्न है जो आप दे रहे हैं। ऐसी कोई हकीकत नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मंत्री महोदय किस इत्तिला की बात कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री शंकराचार्य के बारे में भी और जो बात आज कही जा रही है, वह भी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जब श्री शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया, तो संसद् के भूतपूर्व सदस्य, श्री नन्दलाल शास्त्री, उस स्थान पर मौजूद थे। एक भूतपूर्व संसद्-सदस्य के लिखित वक्तव्य को, जो स्पीकर को भेजा गया है, अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं किसी को अविश्वसनीय मानने या न मानने के बारे में नहीं कह सकता हूं। मैं बड़े आदर से उनका जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास जिम्मेदार अफ़सरों से जो इत्तिला आती है, मैं उसको आसानी से फक नहीं सकता हूं।

Shri Bade: Police officers are not behaving properly here.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो दूसरे अफ़सर भी वहां थे, उन्होंने कहा है कि यह बड़े आदर से वहां गये, अन्दर जाने से पहले उन्होंने जूते उतार लिये और उन्होंने जो कुछ कहना था, वह बड़े आदर के साथ श्री शंकराचार्य को कहा। मेरे पास जिम्मेदारी के साथ जो आफ़िशल रिपोर्ट आती है, जब तक उस को गलत साबित नहीं किया जाता है, उस पर भरोसा करना मेरा काम है।

सभापति महोदय : अगर माननीय सदस्यों के पास इस बारे में कोई जानकारी हो, तो वह मिनिस्टर साहब को दें। वह इसके बारे में एन्क्वायरी करेंगे।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय स्वामी जी अनशन तोड़ने के बाद मरे, तो धर्मसंघ के कार्यालय में पुलिस के जाने की क्या आवश्यकता थी। मंत्री महोदय ने कहा है कि गढ़मुक्तेश्वर में उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया उनके पोते ने की। इस स्थिति में उनकी लाश उनके पोते को क्यों नहीं दी गई और वहां पर पुलिस का इस्तेमाल क्यों किया गया?

श्री बड़े : वहां पर पुलिस की जरूरत क्या थी?

Shri Y. B. Chavan: The information that I have received is that we were trying to get in touch with the relative of the Swamiji and I am told that they could get in touch with him yesterday evening. They sent a message that it is considered inauspicious to cremate the body at night time and that it should be kept waiting. So, the police had to wait till this morning. When they came this morning the body was cremated . . . (*Interruption*).

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी से जब कोई सवाल पूछा जाता है, तो नियम के अनुसार उनको इत्तिला देनी चाहिए। मंत्री जी से बिल्कुल साफ़ सवाल पूछा गया कि जब स्वामी जी धर्मसंघ के दफ़्तर में, या उसके सामने अनशन करते हुए मर गये, तो पुलिस को उनकी लाश लेने जाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी। वह इस बारे में कोई इत्तिला नहीं दे रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि स्वामी जी के कोई रिश्तेदार नहीं हुआ करते हैं। हिन्दू धर्म में यह बिल्कुल अधर्म समझा जाता है, अगर किसी स्वामी से यह पूछा जाये कि उनका कौन रिश्तेदार है, कहां के हैं, किस जाति के हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि गृह मंत्री जैसे आदमी ऐसी अनोखी बात यहां पर कह दिया करते हैं। स्वामी जी का कोई रिश्तेदार नहीं हुआ करता है। वह मरे थे धर्मसंघ के दफ़्तर में। इसलिए मंत्री जी को यह इत्तिला देनी चाहिए कि पुलिस ने

वहां जा कर टांग क्यों अड़ाई । क्या वह सबब है कि ये लोग चाहते हैं कि देश में कोई कच्चा विद्रोह हो जाये, ताकि कोई पक कर विद्रोह न हो ? क्या बात है ।

सभापति महोदय : यह कोई पायंट आफ़ आर्डर नहीं है । लेकिन जैसा कि मैं ने अभी श्री शास्त्री और श्री बड़े से भी कहा है, अगर माननीय सदस्यों के पास कोई जानकारी हो, तो उन्हें वह मिनिस्टर साहब को भेज देनी चाहिए ।

श्री बड़े : वह हमारी जानकारी मानते कहां हैं ? वह तो पुलिस की जानकारी ही मानते हैं ।

सभापति महोदय : वह दूसरा सवाल है ।

श्री बागड़ी (हिसार) : सवाल का जवाब देना चाहिए ।

श्री रामसेवक यादव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । वहां पर पुलिस के जाने की क्या जरूरत थी ?

सभापति महोदय : इस का जवाब दे दिया गया है ।

श्री बागड़ी : गृह मंत्री ने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया है कि स्वर्गीय ब्रह्मचारी जी के अनशन शुरू करने और उन के देह-त्याग के बीच के अरसे में वहां पर उनके मंत्रालय या पुलिस की क्या देख-रेख थी । अगर उस वक्त उनकी देख-रेख की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर जब धर्म संघ में अनशन करते हुए उन्होंने शहीदी प्राप्त की, तो उस समय पुलिस की दखल-अंदाजी की जरूरत क्यों पड़ी और सरकार आईन्दा इस किस्म की दखल-अन्दाजी को रोकने के लिए क्या कर रही है ?

•

Mr. Chairman: One thing is to be answered, that is, as he has said it, when Swamiji was on his fast, at that time the police did not feel the necessity of going there and how it is that the police went there after his death.

Shri Y. B. Chavan: When a person was on fast in connection with a certain issue, which is a burning issue, and the information reached to the police that that person had died, naturally, lots of complications possibly might arise and, therefore, when the police were informed, they had to go there. My information is—I have not got the details here—even the Magistrate went there to take a statement of facts. Naturally, certain things can arise later on. Then, the question, really speaking, arose as to whether the body could be taken in a procession. When all these things were happening, the police naturally had to go there and look after the whole thing.

•

श्री बागड़ी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं ने यह पूछा है कि स्वर्गीय ब्रह्मचारी जी ने अनशन शुरू किया, जिस के कारण उन्होंने बाद में देह-त्याग किया, जब उस से पहले पुलिस ने कोई दखल-अंदाजी नहीं की, तब उन का शरीर पूरा होने पर उस ने दखल-अंदाजी क्यों की । सरकार की ओर से यह बहाना दिया गया है कि लोग उनका जलूस निकालना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे । यह भी धार्मिक प्रक्रिया में बाधा डालना है कि किसी महापुरुष की अर्थी के साथ हजारों, लाखों आदमी न हों । क्या गृह मंत्री इस देश में कोई कच्चा विद्रोह कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि बाद में उनको किसी पक्के विद्रोह का सामना न करना पड़े ?

सभापति महोदय : इस सवाल का जवाब दे दिया गया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : आज सुबह इस सदन में इन ब्रह्मचारी जी की मृत्यु, श्री शंकराचार्य के मुंह से खून आने और श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की हालत बिगड़ने, इन तीनों विषयों के बारे में चर्चा

•

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

हुई और अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय को इन तीनों विषयों के बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा। लेकिन इस समय मंत्री महोदय ने केवल ब्रह्मचारी जी की मत्यु के बारे में ही वक्तव्य दिया है और और बाकी दो विषयों का कोई जिक्र नहीं किया है। कुछ समय पहले जब काश्मीर में हजरत बाल की चोरी हो गई, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस को ढूंढने के लिए एक लाख रुपये का इनाम रखा गया और उस को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस धर्म-निरपेक्ष राज्य में एक धर्म के साथ इतना पक्षपात करना और दूसरे की उपेक्षा करना और उसके धार्मिक नेताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कहां तक उचित है।

सभापति महोदय : उस से कोई ताल्लुक नहीं है। माननीय सदस्य प्रश्न करें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री जी ने कहा है कि वे लोग शव को छोड़ कर भाग गए थे। किसी भी धर्म में इस बात की अनुमति नहीं है कि लोग किसी शव को छोड़ कर भाग जायें। मंत्री जी ने यह गलत-बयानी की है। वे लोग शव को छोड़ कर भागे नहीं, बल्कि उनको जान-बूझ कर भगाया गया। क्या मंत्री महोदय इस बारे में पुनः जांच करेंगे, ताकि उन को पता चले कि उन की जानकारी गलत है और हम जानकारी दे रहे हैं, वह सही है और वह आंख देखा जानकारी है?

Mr. Chairman: I want to know one thing as to whether the Speaker in the morning said that the Home Minister will be making a statement on three personalities or on one.

Shri Y. B. Chavan: Only one.

Shri Bade: In the morning, I asked about the condition of Shankaracharya because he was spitting blood and also about the carrying of Swamiji's body. I had given my Call Attention Notice on both the points. Of course they were disallowed. I protested against that and the Speaker said—you can find it from the proceedings—that the Home Minister will make a statement on Shankaracharya and also on the incident that occurred in Delhi. Shri Prakash Vir Shastri also said the same thing. The Speaker promised us that at 6 O'Clock, the statement will be made.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): No, Sir.

श्री बागड़ी : इन तीनों विषयों के बारे में कहा गया था।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं ने समाचार-पत्र से बतलाया था कि शंकराचार्य जी के मुंह से खून जा रहा है।

सभापति महोदय : मुझे बतलाया गया है कि स्पीकर साहब ने इन ब्रह्मचारी जी के बारे में स्टेटमेंट देने को कहा था।

श्री हुकम चन्द कछवाय : लेकिन मैंने कहा था कि शंकराचार्य जी के मुंह से खून आ रहा है, उनके बारे में वक्तव्य दें। (व्यवधान)

Mr. Chairman: I am not allowing him.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने आज सुबह एक सवाल पूछने की कोशिश की थी, जिसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया था—पुलिस ने वह शव उन को नहीं दिया, जब उन के रिश्तेदारों को बाद में भेजा गया तो उनको जलूस में नहीं जाने दिया गया। मैं उस की निन्दा करते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की नीति हो गई है, गृह मंत्री की रह कर, कि किसी भी आन्दोलन में या उपवास करने के बाद यदि किसी की मत्यु होगी, चाहे वह फायरिंग से हो या भुखमरी से हो या हंगर

स्ट्राइक से हो, तो उसकी लाश को देने से इन्कार किया जायेगा, क्या कोई ऐसा निर्देश दिया गया है ?

सभापति महोदय : उन्होंने यह कहा है कि ला-एंड-आर्डर सिचुएशन को सामने रख कर हम को यह प्रीकौशन लेना पड़ा । (**व्यवधान**)

Mr. Chairman: I am asking him.

Shri Y. B. Chavan: Many times that has been done, but I must say this. He made a mention about Shrimati Renu Chakravartty. She told me afterwards that she did not know this and that when she put that question, she was under the impression that the Swamiji died in jail. I told her that it was not so. She said that she did not know about it. Even then I can say that this is not a policy of the Government. These things have to be decided on the judgment and assessment of the situation when these things happen.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को यह भ्रम था कि उनकी मौत जेल में हुई है । अब मंत्री महोदय ने खुलासा किया है कि ऐसा नहीं हुआ, इस लिए यह और विशेष कारण हो जाता है कि उनकी लाश पर इनको कब्जा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर जेल में मौत होती तो कम से कम सरकार की जिम्मेदारी होती । जब वह अनशन कर रहे थे, और अनशन करते हुए उनकी मौत हुई, तो क्या वजह है कि सरकार ने उनकी लाश पर कब्जा किया, जबकि अगर ये दखल न देते, तो जो कुछ संस्कार उन का करना था, वे लोग कर लेते । इन का बीच में दखल दे कर मामले को बिगाड़ने की क्या जरूरत थी ?

Shri Y. B. Chavan: I have already answered this question.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : माननीय मंत्रीजी ने जो यह कहा कि पुलिस के अधिकारियों को हिदायत है कि वे धार्मिक पुरुषों के साथ बदसलूकी न करें, सद्व्यवहार करें, लेकिन सरकार खुद उन के साथ सद्व्यवहार नहीं कर रही है, जब कि वे सभेड़-काउ के लिए भूख-हड़ताल मजबूर हो कर, कर रहे हैं । कब तक सरकार इस तरह से करती रहेगी । आज एक ऋषि स्वरूप ब्रह्मचारी की मृत्यु हुई है, कल पता नहीं कितना बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला है. फिर भी यह सरकार आंखें बन्द किए बैठी है । ऋषि स्वरूप की जो मृत्यु हुई है, वह सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने वह एटमासफियर पैदा नहीं किया, जिसमें साधु महात्मा सुख से रह सकें, उनकी मां के ऊपर छुरी चल रही है, आखिर ये कब तक चुप रहेंगे ।

Shri Y. B. Chavan: I have no answer. (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इस वक्त तक यहां यह तरीका रहा है कि जब भी कोई ऐसा सवाल आया है या स्टेटमेंट हुआ है, एक-एक दल की तरफ़ से एक-एक माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते , जब पहले आप थे, मैं समझता था कि तीन-चार सवाल होंगे, अब इस वक्त सभी दलों के माननीय सदस्य तीन-तीन चार-चार सवाल पूछ चुके हैं, इस में काफ़ी वक्त गुज़र चुका है । अब मैं डा० लोहिया से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना आधा घन्टे का डिस्कशन शुरू करे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय: *

Mr. Chairman: This will not go on record.

Now, Dr. Ram Manohar Lohia.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): Before Dr. Ram

*Not recorded.

[Shri Vidya Charan Shukla.]

Manohar Lohia commences his speech, I would like to make a request. We would like to finish this Bill today, after the half-an-hour discussion is over. I hope the House will be prepared to sit.

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इस आधा घन्टे की डिस्कशन के बाद हम हाउस में बैठें और आप के बिल को पास करें, यह मैं हाउस के सामने रख रहा हूं, क्या आप बैठेंगे ?

Some hon. Members: Yes.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): There will be no quorum.

18.37 hrs.

*SHIPPING OF RICE SUPPLIES FROM BURMA BY MESSRS. AMIN-CHAND PYARELAL

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, अब यह सदन बर्मा से भारत आये हुए चावल के बारे में बहस करेगा और उसके सम्बन्ध में अन्न-मंत्री जी ने 1 नवम्बर, 1966 को जो जवाब दिया था, उस में से कुछ नतीजे मैं निकाले देता हूं। वैसे तो कम से कम 30-40 जहाज हैं, जिनमें एक एक पर इस देश का दस-दस बीस-बीस हजार रुपये का नुक्सान हुआ है, लेकिन कुछ खास जहाज मैं नमूने के तौर पर गिनाये देता हूं। सन 1961 में ए० पी० जे० सुषमा, यह अमीचन्द प्यारे लाल जीतपाल जहाजरानी कम्पनी का जहाज था, यह कोचीन चावल लेकर आया था, कितना चावल इस पर आना चाहिये था और जितना जवाब में बताया गया है, उस में 104 टन का फर्क होता है, यदि झाड़न-बुहारन का इस में और जोड़ दिया जाये, तो 121 टन हो जायगा या 104 की जगह 70-80 टन हो जायगा, हर हालत में इस में नुक्सान करीब 60-70 हजार रुपये का हुआ।

उसी तरह से "अंजलि" नाम के जहाज से 146 टन का नुक्सान हुआ, इधर या उधर कुछ और भी जोड़ सकते हैं, वह मिल कर कोई 70-80 हजार रुपये का नुक्सान हुआ। सन 1962 में फिर उसी "अंजलि" से लाये गये माल पर 97 टन का नुक्सान हुआ और "आकाश" नाम के जहाज पर सन 1962 में ही 156 टन का नुक्सान हुआ। 156 टन के मतलब होंगे करीब 70-80 हजार रुपये, एक लाख रुपये तक भी यह मामला जा सकता है। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो बिलकुल जो एकदम टक्साली नुक्सान है, वही बतला रहा हूं, जो जहाज की नमी के कारण चावल के वजन में बढ़ती हो जाती है या जो जहाज में बालू बिछाया जाता है ताकि अच्छी तरह से चावल को लादा जा सके या जो वजन करते वक्त जान-बूझ कर कम-ज्यादा कर दिया जाता है, उनको भी जोड़ें तो मामला न जाने कितने लाखों पर चला जायगा।

उसी तरह से सन 1963 में "अश्वनि" नाम के जहाज पर 117 टन का नुक्सान हुआ, वही 70-80 हजार रुपये का नुक्सान। इसी तरह से फिर "अन्जलि" पर 71 टन का नुक्सान हुआ। यह मैंने आपके सामने 1963 तक की हालत बतलाई है, 1963 के जुलाई-जून तक की, जिसका मतलब होता है कि श्री पाटिल तब तक अन्न-मंत्री थे।

अब मैं आपको सन् 1964 के बारे में बतलाता हूं। सन् 1964 में 'आकाश' नाम के जहाज पर 138 टन का नुक्सान हुआ, मैं बार-बार एक लाख रुपया नहीं कह रहा हूं। एक जहाज तो गजब का है — "राजीव" नाम का — उस पर जो हम लोगों को सदन पटल पर

*Half an hour discussion.